36

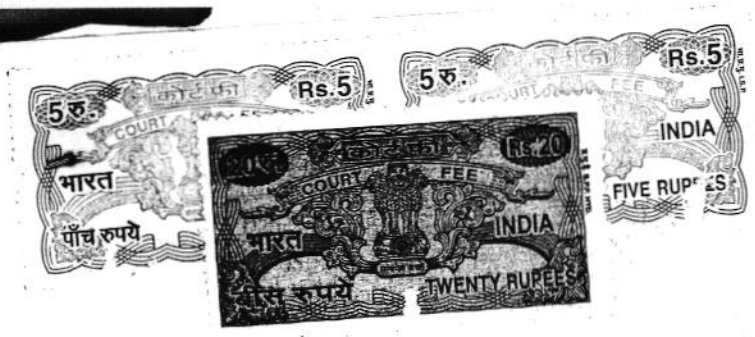

न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

निग – 1001 – III – 16

प्रकरण क्रं. /16 निगरानी

बल्लभ प्रसाद पिता श्री बद्रीलाल कुल्मी,
निवासी–मोमन बडोदिया जिला शाजापुर

––आवेदक

श्री एस० आर० पाठक अभि० द्वारा उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत। 16-3-16

विरूद्ध

खूबचंद पिता लीलाधर महाजन, निवासी–मोमन
बडोदिया जिला शाजापुर ––अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार महोदय मोमन बडोदिया जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 5/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2015 एवं प्रतिवेदन दिनांक 14.05.2015 से असंतुष्ट एवं दुखीत होकर जानकारी दिनांक से पुनरीक्षण अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन किये बिना आवेदक की भूमि की ओर 0.023 हे. भूमि सीमांकन में निकलना बता दी इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

03. यह कि, राजस्व निरीक्षक व पटवारी मोजा द्वारा सीमांकन के समय न तो फील्डबुक बनाई और न ही आवेदक की भूमि का सीमांकन किया गया व मनमाने तरीके से सीमांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

04. यह कि, अनावेदक द्वारा सीमांकन बाबत विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही आवेदन पत्र में पडोसी कृषकों के सर्वे नम्बर भी स्पष्ट नही किये और न ही अनावेदक की भूमि रकबा 0.023 हे. आवेदक के नम्बर में निकली तथा अनावेदक द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया कि, अनावेदक की भूमि आवेदक के किस सर्वे नम्बर में निकली है। इस बात का ... और न ही पंचनामे में दर्शाया गया, इस कारण भी

बल्लमंप्रभा/२५७-५४-२५

XXIX(a)-BR(H)-11

(36)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(54)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1001/III/16

जिला - आगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, मोहन बड़ोदिया के प्रकरण क्रमांक 5/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15-5-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, आगर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर, आगर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	